

| ८ | महिला हेल्पलाइन

- महिला कल्याण विभाग की “181” महिला हेल्प लाइन पर एक ही कॉल करने पर महिला/बालिकाओं सम्बन्धी सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है।
- सेल्टर होम में रहने के लिए मद्दद
- महिला पुलिसकर्मी द्वारा सहयोग
- चाइल्ड लाइन से समन्वय
- काउन्सिलिंग के माध्यम से महिलाओं को मनोवैज्ञानिक सलाह प्रदान की जाती है।
- मेडिकल सुविधा प्रदान की जाती है।
- एफ0आई0आर0 व कानूनी सहायता आदि की भी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

